कार्यालयनजारत, अनुभाग जनपद न्यायालय, लखीमपुर–खीरी।

संख्या– 01 /सी0एन0/ वाहन नीलामी /2015 दिनांक जुलाई 25, 2015

वाहन नीलामी हेतु विज्ञप्ति

वाहन क्रय करने के इच्छुक व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, लखीमपुर–खीरी की निष्प्रयोज्य घोषित सरकारी वाहन 1– एम्बेसडर कार सं0–यू0पी0 31 एफ/1500 मेक माडल मार्च 2003, 2– एम्बेसडर कार सं0– यू0पी0 31 डी/ 7211 मेक माडल 05, सन 2001 और 3– डीजल जीप सं0– यू0पी0 31 ए/1970 मेक माडल 1992 की सार्वजनिक नीलामी दिनांक 31–8–2015 को सायंकाल 4.00 बजे जनपद न्यायालय, लखीमपुर–खीरी के सभाकक्ष में जिलाधिकारी, लखीमपुर–खीरी की अध्यक्षता में गठित नीलामी समिति के समक्ष की जायेगी ।

उपरोक्त प्रत्येक वाहन के लिये पृथक–पृथक प्रत्येक बोलीदाता को धरोहर धनराशि मु0– 5000/रूपया नकद धनराशि के रूप में बोली बोलने से पहले नजारत अनुभाग, जजी लखीमपुर–खीरी मे जमा करनी होगी । सर्वाधिक बोलीदाता को कुल बोली का 1/4 धनराशि उसी समय जमा करनी होगी तथा शेष 3/4 धनराशि नीलामी स्वीकृत होने के पश्चात सात दिन के अन्दर सम्बंधित वाहन का वास्तविक रूप में कब्जा लेने से पूर्व जमा करनी होगी । शेष 3/4 धनराशि निर्धारित अवधि में जमा न करने पर तथा वाहन का कब्जा न लेने पर जमा की गयी समस्त धनराशि को राज्य सरकार के पक्ष में, जब्त कर, जमा कर लिया जायेगा । न्यूनतम बोली न आने पर अथवा अन्य किसी अपरिहार्य कारणवश नीलामी स्थगित करने अथवा अन्य परिस्थितियों में निरस्त करने का अधिकार नीलाम स्वीकृतकर्ता अधिकारी को होगा । नीलामी समिति को किसी एक अथवा समस्त बोलिओ को बिना कोई कारण बताए निरस्त करने का अधिकार होगा । समिति द्वारा स्वीकृत की गयी उच्चतम बोली तभी अन्तिम मानी जायेगी जब समिति के अध्यक्ष, जिला अधिकारी, लखीमपुर–खीरी द्वारा बोली अनुमोदित / स्वीकृत कर दी जायेगी । अन्तिम स्वीकृति के पश्चात किसी प्रकार की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी । नीलामी के पूर्व उक्त वाहनों का निरीक्षण किसी भी कार्यदिवस में जनपद न्यायालय परिसर, लखीमपुर–खीरी में किया जा सकता है तथा वाहन को जहां जैसा है वैसी स्थिति में नीलाम कर कब्जा दिया जायेगा । क्रेता को नीलामी धनराशि के अतिरिक्त जो अनुमन्य है, यथा वैट, पंजीयन स्थानान्तरण शुल्क आदि जमा करना/ स्वंय वहन करना होगा । विज्ञप्ति का विवरण माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की आफिसयल बेवसाइट www.allahabadhighcourt.in पर उपलब्ध है ।

25.7.2015

प्रभारी अधिकारी, नजारत
जनपद न्यायालय, लखीमपुर–खीरी।

Approved